कौशल विकास संचालनालय
मध्यप्रदेश
रामपुर चौराहा , पेट्रोल पंप के पास, तेज अपार्टमेंट के बाजू से, नर्मदा रोड, जबलपुर
website: www.mpdt.nic.in, E-mail: dttrgjbp@gmail.com, Tel. (0761) 2660524, 2661070 , Fax No. 2661055

क्रमांक-कौविस / ई-गवर्नेस / मेह. प्रव. / 2024 / 808 /भोपाल, दिनांक 14/06/2024

प्रति,

समस्त संयुक्त संचालक
कौशल विकास क्षेत्रीय कार्यालय
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं मध्यप्रदेश।

समस्त प्राचार्य / संस्था प्रमुख
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं,
मध्यप्रदेश।

विषय- शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में मेहमान प्रवक्ताओं के आमंत्रण बाबत्।

संदर्भ-: विभाग के आदेश क्र. एफ-02-02-2022/42-2 दिनाँक 22.04.2022, क्र 422/421/2019 /42-2 दिनाँक 21/02/2023, एवं आदेश क्र. एफ-02-02-2022/42-2 दिनांक 05/10/2023 एवं क्र. एफ-02-02-2022/42-2 दिनाँक 10/11/2023.

—00—

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में शैक्षणिक सत्र 2024-2025 के लिए प्रशिक्षण अधिकारियों के रिक्त पदों के विरूद्ध मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित किये जाने है, जिसके लिए समस्त संयुक्त संचालकों के द्वारा मेहमान प्रवक्ताओं की आवश्यकता हेतु रिक्तियों की जानकारी विभागीय पोर्टल (mpskill.gov.in) पर दर्ज किया जाना है। मेहमान प्रवक्ताओं के आनलाइन आमंत्रण हेतु दिशा निर्देश संलग्न है।

विभाग के संदर्भित आदेश दिनांक 21/02/2023 में याचिका क्रमांक WP-11063/2019 मे पारित आदेश दिनांक 12/05/2022 के आलोक मे प्राप्त निर्देशानुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओ में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में कार्यरत मेहमान प्रवक्ताओ का चयन विभागीय आदेश दिनांक 22/04/2022 के पेरा 5.1 से 5.4 द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया से होने के कारण आदेश दिनांक 22/04/2022 मे जारी निर्देशों के अनुसार कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है । माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में शासन के उक्त आदेश दिनांक 21/02/2023 के अनुक्रम में प्रशिक्षण सत्र 2023-24 में कार्यरत मेहमान प्रवक्ताओ का चयन विभागीय आदेश दिनांक 22/04/2022 के पेरा 5.1 से 5.4 द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया से होने के कारण उक्त निर्देशों के अनुसार उन्हें सत्र 2024 -25 में कार्य करने कि अनुमति प्रदान की जाती है ।

अतः प्रशिक्षण अधिकारियों के रिक्त पदों के विरूद्ध आवश्यकतानुसार सर्वप्रथम उपरोक्त आदेशानुसार केवल सत्र **2023—24** में कार्यरत मेहमान प्रवक्ताओं को दिनांक **25/06/2024** तक आमंत्रित करने की कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात **प्रशिक्षण अधिकारियों के रिक्त** रहे **पदों के** विरूद्ध आवश्यकता होने पर **मेहमान प्रवक्ता की व्यवस्था हेतु विभाग के** सन्दर्भित **आदेश** दिनांक 22.04.2022 **के अनुसार, तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी** 100 **बिन्दु रोस्टर दिनांक** 24.12.2019 **एवं इंजीनियरिंग डिग्री/डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों के आरक्षण के संबंध में विभागीय भर्ती नियमों का पालन, महिलाओं के लिए** 33 **प्रतिशत हॉरीजोंटल आरक्षण व निःशक्तजनों के लिए** 06 **प्रतिशत हॉरीजोटल आरक्षण का पालन करते हुए मेहमान प्रवक्ताओं के आमंत्रण की कार्यवाही** शासन के सन्दर्भित पत्र दिनांक 10/11/2023 द्वारा जारी अनुबंध की शर्तो के अधीन **आनलाइन पद्धति के द्वारा निम्न समय सारणी अनुसार संपादित करें :-**

स. क्र.	कार्य	दिनांक
1.	संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा रिक्तियों की जानकारी विभागीय पोर्टल (mpskill.gov.in) पर दर्ज करना।	28-06-2024
2.	संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराना	01-07-2024
3.	आवेदन करने की एवं सत्यापन किये जाने की आरंभ तिथि	04-07-2024
4.	आवेदन करने की अंतिम तिथि	19-07-2024
5.	सत्यापन कराने की अंतिम तिथि	22-07-2024
6.	आवेदको के लॉगिन पर स्कोर प्रदर्शन एवं आपत्ति प्रस्तुत करना ।	26-07-2024
7.	आवेदको द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि ।	29-07-2024
8.	आपत्तियों का निराकरण कर एनआईसी द्वारा मेरिट सूची प्रदर्शन करना ।	02-08-2024
9.	दिव्यांगजनों की मेरिट सूची अनुसार प्रथम चरण हेतु कार्यग्रहण।	05 से 14-08-2024
10.	दिव्यांगजनों की मेरिट सूची अनुसार द्वितीय चरण हेतु कार्यग्रहण ।	16 से 27-08-2024
11.	दिव्यांगजनों की मेरिट सूची अनुसार तृतीय चरण हेतु कार्यग्रहण।	28/8 से 05-09-2024
12.	कॉमन मेरिट सूची अनुसार प्रथम चरण हेतु कार्यग्रहण ।	06/9 से 13-09-2024
13.	कॉमन मेरिट सूची अनुसार द्वितीय चरण हेतु कार्यग्रहण ।	17/9 से 26-09-2024
14.	कॉमन मेरिट सूची अनुसार तृतीय चरण हेतु कार्यग्रहण ।	27/9 से 07-10-2024

1— प्राचार्य/संस्था प्रमुख मेहमान प्रवक्ताओ को मेरिट के अनुसार आमंत्रण पत्र निवास के पते पर पंजीकृत डाक के द्वारा और ईमेल/व्हाट्सएप/SMS पर भेजना सुनिश्चित करेंगें, तथा संस्था में उसका रिकार्ड संधारित करेंगें।

2— प्रशिक्षण अधिकारियों की नियमित पदस्थापना (नवीन नियुक्ति,स्थानान्तरण, पदोन्नति आदि से) होने पर मेहमान प्रवक्ताओं का आमंत्रण स्वमेव समाप्त हो जावेगा।

3— मेहमान प्रवक्ताओं की वरिष्ठता संस्थावार व व्यवसायवार कार्यग्रहण करने की दिनांक से संधारित होगी। प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर नवीन नियुक्ति,स्थानान्तरण, पदोन्नति आदि से होने की स्थिति में कनिष्ठ मेहमान प्रवक्ता का आमंत्रण सर्वप्रथम समाप्त किया जावेगा।

4— मेहमान प्रवक्ताओं के आमंत्रण की अवधि 11 माह अथवा प्रशिक्षण सत्र पूर्ण होने तक की होगी। अवधि पूर्ण होने पर आमंत्रण स्वतः समाप्त हो जावेगा। नवीन सत्र के लिए मेहमान प्रवक्ताओं के आमत्रण की कार्यवाही पुनः की जावेगी।

5— न्यायालय से स्थगन प्राप्त मेहमान प्रवक्ताओं के संबध में उनके आमंत्रण अथवा आमंत्रण समाप्त करने की कार्यवाही उनके प्रकरण में न्यायालयीन निर्णय के अध्याधीन होगी।

6— व्यवसायों में प्रवेश नही होने की स्थिति में मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित नही किए जाएगें। बीच सत्र में किसी व्यवसाय में मेहमान प्रवक्ता की आवश्यकता होने पर जिला स्तर पर उपलब्ध संबधित व्यवसाय की मेरिट सूची, जिला स्तर पर उपलब्ध न होने की स्थिति में जोन स्तर पर उपलब्ध मेरिट सूची में से मेरिट अनुसार मेहमान प्रवक्ता, क्षेत्रीय संयुक्त संचालक के अनुमोदन से आमंत्रित किए जा सकेगें।

आनलाइन प्रक्रिया संबंधी जानकारी mpskills.gov.in पोर्टल एवं ईमेल itcell.mpskills@gmail.com से प्राप्त की जा सकती है।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

(हर्षिका सिंह) IAS
संचालक
कौशल विकास, मध्य प्रदेश

क्रमांक--कौविस / ई-गवर्नेस / मेह. प्रव./ 2024 / 809 /भोपाल, दिनांक 14/06/2024

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. उप सचिव,मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग,भोपाल।
2. श्री अजय कुलकर्णी, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
3. उप संचालक, आनलाईन, प्रवेश एवं परीक्षा,एमपीएसएसडीईजीबी,भोपाल।
4. उप संचालक, कौशल विकास संचालनालय,जबलपुर,मध्यप्रदेश।
5. आईटी सेल, कौशल विकास संचालनालय, मध्यप्रदेश।

(हर्षिका सिंह) IAS
संचालक
कौशल विकास, मध्य प्रदेश

मेहमान प्रवक्ताओं के आमंत्रण हेतु दिशा-निर्देश

संचालनालय कौशल विकास, मध्यप्रदेश के अधीन संचालित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (ITI) में प्रशिक्षण अधिकारियों के रिक्त पदों के विरूद्ध प्रशिक्षण व्यवस्था के लिए मेहमान प्रवक्ताओं हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक आवेदक कौशल विकास संचालनालय के पोर्टल www.mpskills.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।

1. **विज्ञापन**

क्षेत्रीय संयुक्त संचालकों द्वारा अपने अधीनस्थ संचालित शासकीय आईटीआई में रिक्त पदों पर मेहमान प्रवक्ताओं की व्यवस्था हेतु मांग प्राप्त की जावेगी। तत्पश्चात संयुक्त संचालक कार्यालय द्वारा पोर्टल पर लॉग इन कर गेस्ट फैकल्टी मॉडयुल में "Add Vacancy" मेनु द्वारा समस्त प्राप्त रिक्त स्थानों की प्रविष्टी की जायेगी। समस्त प्रविष्टि उपरांत "Apply Roster" मेनु द्वारा प्रविष्टि की गयी सभी रिक्तियों पर निम्नानुसार आरक्षण का पालन करते हुए आरक्षण अनुसार प्रत्येक (सीट) चिन्हित कर प्रविष्टि की जाएगी।व्यवसायों की पृविष्ट उनके नामों के अल्फाबेट कम में की जाएगी|

a. म.प्र.सा.प्र. विभाग द्वारा जारी नवीनतम 100 बिन्दु आरक्षण रोस्टर दिनांक 24/12/2019 (मध्यप्रदेश राजपत्र सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल दिनांक 21 दिसम्बर 2019) अनुसार आरक्षण, (जिसमें SC-16%, ST- 20%, OBC-27%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को 10% आरक्षण दिया गया है)
b. विभागीय भर्ती नियम अनुसार 50% पद इंजीनियरिंग डिग्री / डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों हेतु आरक्षण (यदि किसी संस्था में फिटर के 02 यूनिट संचालित है व 01 पद नियमित प्रशिक्षण अधिकारी (डिग्री / डिप्लोमाधारी) से भरा है तथा 01 पद रिक्त है, तो रिक्त पद पर डिग्री / डिप्लोमाधारी का आरक्षण लागू नहीं होगा। अतएव इस 01 रिक्त पद पर मेरिट अनुसार डिग्री / डिप्लोमा / आईटीआई धारी आ सकता है। इसके विपरित यदि 01 पद पर नियमित प्रशिक्षण अधिकारी (आईटीआई धारी) से भरा है, तो रिक्त पद डिग्री / डिप्लोमाधारी के लिए आरक्षित रहेगा। जहाँ 01 पद है वह डिग्री / डिप्लोमाधारी के लिए आरक्षित होगा तथा जहाँ विषम संख्या में 03 पद है वहाँ 02 पदों पर डिग्री / डिप्लोमाधारी का आरक्षण होगा)
c. महिलाओं के लिए 33% होरिजोन्टल आरक्षण |
d. निःशक्तजनों के लिए 6% होरिजोन्टल आरक्षण (शासन के नवीन निर्देशानुसार अब 03 की जगह 04 प्रकार की निःशक्तता अधिसूचित की गई है)

मेरिट अनुसार चयनित निःशक्तजन जिस श्रेणी (अनु.जाति / अनु. जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अनारक्षित) के होंगे, उसी श्रेणी की सीट पर इनका चयन होगा। अतएव पूर्व से निःशक्तजन की श्रेणी निर्धारित नहीं होती है, इसके लिए निःशक्तजनों का चयन सर्वप्रथम कर लिया जावे।

चूँकि मेहमान प्रवक्ताओं की व्यवस्था संस्थाओं में तुरन्त तात्कालीक रूप से करनी होती है। अतः महिला व निःशक्तजन उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर पदों को संबंधित श्रेणी के ओपन केटेगरी से सीटों को भरा जा सकेगा।

उपरोक्त समस्त प्रविष्टियों की पुष्टि होने के उपरांत "Lock" करना होगा। इस कार्यवाही के बाद संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय के स्तर से विज्ञापन जारी किया जा सकेगा। विज्ञापन में आवेदन की आरंभ तिथि, अंतिम तिथि एवं आवेदन सत्यापन की अंतिम तिथि का भी उल्लेख किया जावेगा। उक्त तिथियों के अनुसार संबंधित जोन हेतु आवेदन प्रक्रिया निष्पादित की जावेगी।

2.**रिक्त पदों की आरक्षणवार जानकारी**

रिक्त पदों की आई. टी. आई. वार एवं व्यवसाय-वार तथा आरक्षणवार जानकारी संयुक्त सचालकों के माध्यम से कौशल विकास संचालनालय के पोर्टल www.mpskills.gov.in पर उपलब्ध होगी।

3. **आवेदन शुल्क**

ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है।

4. **आयु सीमा**

न्युनतम 18 वर्ष, अधिकतम आयुसीमा 62 वर्ष होगी ।

(तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, मध्यप्रदेश शासन के परिपत्र एफ-02-02/2022/42-2 भोपाल दिनाँक 10/11/2023 के अनुसार अधिकतम आयुसीमा 62 वर्ष होगी)

5. तकनीकी /शैक्षणिक अर्हताएँ

मेहमान प्रवक्ताओं की तकनीकी /शैक्षणिक योग्यता म0प्र0 औद्योगिक प्रशिक्षण अराजपत्रित तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2009 संशोधन दिनांक 26 सितम्बर 2018 की अनुसूची तीन के अनुसार होगी । शेष व्यवसायों की शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता डीजीटी द्वारा निर्धारित, मान्य होगी ।

6. **ऑनलाईन आवेदन कैसे प्रस्तुत करें**

ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने की लिंक तथा आवेदकों की सहायता हेतु मार्गदर्शिका कौशल विकास संचालनालय के पोर्टल www.mpskills.gov.in पर उपलब्ध होगी। आवेदक को पोर्टल पर ऑनलाईन पंजीयन करने पर आईडी / पासवर्ड प्राप्त होगा जिसके द्वारा लॉगइन कर आवेदन भरा जा सकेगा। एक आवेदक के द्वारा सभी संभाग के लिए केवल एक ही आवेदन मान्य किया जावेगा, आवेदक को एक से अधिक संभाग की आईटीआई में आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम वांछित क्रमानुसार संभाग (Zone) का चयन करना होगा तत्पश्चात संबंधित संभाग में संचालित आईटीआई का चयन किया जा सकेगा।

आवेदन हेतु आवेदक को मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए आवेदक द्वारा पंजीकरण करते समय श्रेणी (UR/OBC/ SC / ST / EWS, होरिजेन्टल केटेगरी महिला / निःशक्तजन) एवं आवेदन में चयन की गयी अर्हकारी शैक्षणिक योग्यता (Base Qualification) का चयन करना होगा। आवेदक की एक से अधिक अर्हकारी शैक्षणिक योग्यता होने पर आवेदन को लॉक करने से पूर्व Base Qualification बदल कर Choice Filling हेतु उपलब्ध स्थान देखे जा सकते हैं, आवेदक इस हेतु पुष्टि करने के उपरांत ही आवेदन लॉक करें, लॉक करने के उपरांत किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होगा ना ही दूसरा आवेदन भरा जा सकेगा।

7. **आई.टी.आई. एवं व्यवसाय (ट्रेड) की वरीयता**

मेहमान प्रवक्ताओं के चयन में आई. टी. आई. एवं व्यवसाय का आवंटन मेरिट एवं आवेदक द्वारा दर्शित वरीयता क्रम में शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण अनुसार किया जावेगा। ऑनलाईन आवेदन में आवेदक को अधिकतम 15 (पन्द्रह) स्थानों को वरीयता क्रम में चुनने के अवसर प्राप्त होंगे।

8. **आवेदन की जॉच एवं प्रमाणीकरण**

आवेदकों को ऑनलाईन आवेदन की पोर्टल से जनरेटेड प्रति एवं संबंधित दस्तावेज किसी भी शासकीय आईटीआई में निर्धारित समयावधि में उपस्थित होकर सत्यापित कराने होंगे।

आवेदकों के आवेदन सत्यापन हेतु आईटीआई के कर्मचारी (जिसे आईटीआई लॉग इन द्वारा गेस्ट फैकल्टी वेरिफिकेशन का रोल संबंधित संयुक्त संचालक / प्राचार्य द्वारा असाइन किया हो) द्वारा सत्यापन उपरांत पोर्टल में प्रमाणीकरण की जानकारी दर्ज की जावेगी। सत्यापन हेतु आवेदकों से प्राप्त आवेदन एवं संबंधित सह दस्तावेज के दो सेट प्राप्त कर ऑनलाईन आवेदन में दी गयी जानकारी का मिलान दस्तावेजों से किया जावेगा, समस्त जानकारी का मिलान होने पर आवेदन का अनुमोदन / मिलान ना होने पर रिजेक्ट पोर्टल पर (आवेदक के समक्ष ही) दर्ज किया जावेगा तथा सत्यापन अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर कर एक प्रति आवेदक को प्रदान की जावेगी।

आवेदन के प्रमाणीकरण की पुष्टि ऑनलाईन दर्ज होने पर ही पंजीकृत आवेदन मान्य होगा। अतः समस्त आवेदकों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करते समय पूर्ण सावधानी रखें एवं त्रुटिपूर्ण / असत्य जानकारी ना देवें। आवेदक द्वारा असत्य जानकारी देने की दशा में आवेदक पर कठोर कानूनी कार्यवाही की जावेगी ।

9. **वरीयता सूची का प्रकाशन**

ऑनलाईन गेस्ट फैकल्टी प्रक्रिया में केवल वरीयता सूची का प्रकाशन किया जावेगा पृथक से कोई भी चयन सूची का प्रकाशन नहीं किया जावेगा। विज्ञापन अनुसार आईटीआई - वार एवं व्यवसाय-वार प्रत्येक पद हेतु वरीयता सूची (जिसमें केवल वे आवेदक होंगे जिन्होंने निर्धारित समयावधि में आवेदन का सत्यापन कराया हो) पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। आवेदक को व्यवसाय से संबंधित शैक्षणिक योग्यता डिप्लोमा / डिग्री अथवा आई.टी.आई. व उच्च अर्हता तथा अनुभव के आधार पर मार्किंग निम्नानुसार होगी:-

SN	Component	Description	Weightage
1.	शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता	इंजी. डिप्लोमा / डिग्री अथवा आई.टी.आई. के प्रतिशत का पूर्णांक x07	अधिकतम 70 अंक
2.	उच्चतर योग्यता	(ATI / CTI /ITW/ITOT/RPL) से अनुदेशक प्रशिक्षण उत्तीर्ण	03 अंक
		संबंधित ब्रांच में इंजीनियरिंग (पॉलिटेक्निक) डिप्लोमा	02 अंक
		संबंधित ब्रांच में इंजीनियरिंग स्नातक/ स्नातकोत्तर	05 अंक
		स्नातकोत्तर (एमई./ एम.टेक.) हेतु अतिरिक्त अंक प्रदाय नहीं होंगे।	---
3.	अनुभव	शासकीय आईटीआई या NCVT से मान्यता प्राप्त आईटीआई में प्रशिक्षण कार्य हेतु प्रति वर्ष 4 अंक (छः माह से कम हेतु 0 अंक, छः माह से एक वर्ष तक 4 अंक)	अधिकतम 20 अंक

नोटः-

- **उच्चतर अर्हता में से यदि किसी अर्हता को विहित अर्हता (Base Qualification) माना गया हो तो उस उच्चतर अर्हता के अतिरिक्त अंक प्राप्त नहीं होंगे।**

10. **कार्यग्रहण**

संबंधित क्षेत्रीय संयुक्त संचालक कार्यालय द्वारा प्रथम चरण द्वितीय चरण एवं तृतीय चरण के स्थानों पर कार्यग्रहण हेतु अंतिम तिथि पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी । वरीयता सूची में प्रथम स्थान के आवेदक निर्धारित तिथि तक संबंधित आईटीआई में आवश्यक मूल दस्तावेजों एवं दो सेट छायाप्रति लेकर कार्यग्रहण हेतु उपस्थित हो सकते है। यदि किसी आवेदक का एक से अधिक स्थानों की वरीयता सूची में प्रथम स्थान है ऐसी दशा में वे किसी भी एक स्थान पर निर्धारित समयावधि में कार्यग्रहण कर सकते हैं, एक स्थान पर कार्यग्रहण करने पर अन्य स्थानों पर से उनकी उम्मीदवारी समाप्त हो जावेगी तथा वरीयता क्रम में अगले आवेदक को कार्यग्रहण हेतु उपस्थित होना होगा।

प्रथम चरण में वरीयता क्रमानुसार संबंधित आवेदक द्वारा कार्यग्रहण ना करने पर अगले चरण में अगले आवेदक को कार्यग्रहण हेतु उपस्थित होना होगा। निर्धारित समयावधि में कार्यग्रहण ना करने पर उम्मीदवारी समाप्त हो जावेगी । तीनों चरणों के उपरांत भी स्थान रिक्त होने की दशा में आईटीआई द्वारा वरीयता सूची के आवेदकों को क्रमानुसार कार्यग्रहण हेतु आमंत्रित किया जा सकेगा।

कार्यग्रहण किये आवेदकों द्वारा त्यागपत्र देने की दशा में वरीयता सूची से आवेदकों को क्रमानुसार कार्यग्रहण हेतु आमंत्रित किया जा सकेगा। वर्तमान विज्ञापन की प्रक्रिया में आवेदित आवेदकों की वरीयता सूची प्रथमतः छः माह तक वैध होगी जिसे आवश्यकतानुसार आगामी छः माह तक वृद्धि की जा सकेगी। संबंधित आईटीआई द्वारा आवश्यकतानुसार वरीयता सूची के आवेदकों को क्रमानुसार कार्यग्रहण हेतु आमंत्रित किया जा सकेगा।

आईटीआई में आवेदकों के कार्यग्रहण की जानकारी आईटीआई के लॉग इन द्वारा पोर्टल पर दर्ज की जावेगी, इस हेतु प्राचार्य / संस्था प्रमुख द्वारा किसी भी एक कर्मचारी को नामांकित किया जावेगा, नामांकित कर्मचारी द्वारा आवेदकों के

आवेदन एवं संबंधित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से परीक्षण कर एक सेट छायाप्रति आईटीआई में जमा कर पोर्टल पर आईटीआई के लॉग इन से गेस्ट फैकल्टी मॉडयुल में आरक्षण अनुसार कार्यग्रहण की सूचना (आवेदक के समक्ष ही) दर्ज की जायेगी।

आईटीआई में स्थानांतरण / नवीन पदस्थापना तथा अन्य कारणों से विज्ञापन में दिए पद भरे जा सकते हैं, अतः वरीयता सूची के आवेदक सूची प्रकाशन के पश्चात संबंधित आईटीआई में समय-सीमा में उपस्थित होकर इस बाबत पुष्टि कर लेवें कि पद रिक्त है अथवा नहीं, पद रिक्त ना होने पर वरीयता अनुसार अन्य आईटीआई से संपर्क कर कार्यग्रहण करें।

नियमित प्रशिक्षण अधिकारी की नियुक्ति/स्थानान्तरण या पदोन्नति आदि से पद की पूर्ती होने की स्थिति में कार्य ग्रहण करने के मान से कनिष्ठ मेहमान प्रवक्ता का आमंत्रण स्वत: समाप्त हो जावेगा।

11. **मानदेय**

ट्रेड एवं ड्राइंग/गणित के पद हेतु अधिकतम रु.20,000/- प्रति माह

$$\text{मानदेय} = \frac{\text{उपस्थित दिवस की संख्या}}{\text{माह के कुल कार्य दिवस की संख्या}} \times 20{,}000 \text{ (रु)}$$

12. **कार्य अवधि**

अधिकतम 11 माह अथवा सत्र समाप्ति तक अथवा नियमित पदस्थापना/स्थानांतरण अथवा अन्य शासकीय कारणों से पद भरे जाने तक ।

13. मेहमान प्रवक्ताओं के चयन संबंधी समस्त कार्यवाहियाँ क्षेत्रीय संयुक्त संचालक अपने मार्गदर्शन में संपादित करायेंगे तथा संस्था स्तर पर यदि कोई समस्या होती है तो उसका निराकरण क्षेत्रीय संयुक्त संचालक अपने स्तर से करेंगे।

(हर्षिका सिंह) IAS
संचालक
कौशल विकास, मध्य प्रदेश

(28)

मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 22/04/2022

क्रमांक एफ-02-02/2022/42-2:: राज्य शासन एतद् द्वारा मंत्रि-परिषद् के आदेश आयटम क्रमांक-03 दिनांक 12 अप्रैल, 2022 के अनुसार प्रदेश में वर्तमान में 238 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण अधिकारियों के स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध मेहमान प्रवक्ताओं को प्रति घंटे के आधार पर आमंत्रित कर शैक्षणिक व्यवस्था सुचारू रखे जाने की प्रक्रिया शैक्षणिक सत्र 2008-09 से जारी है। वर्तमान में मेहमान प्रवक्ताओं को रूपये 110/- प्रति घंटे (अधिकतम 5 घंटे प्रतिदिन) के अनुसार एक माह में अधिकतम रुपये 10,000/- मानदेय दिये जाने की व्यवस्था को अधिक्रमित/निरस्त करते हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में शैक्षणिक कार्य एवं कक्षाओं के संपादन हेतु प्रशिक्षण अधिकारियों के स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध अधिकतम 11 माह हेतु मेहमान प्रवक्ता के रूप में रू. 125/- प्रति घंटा (अधिकतम 5 घंटे प्रतिदिन), एक माह में अधिकतम रूपये 14,000/- (रूपये चौदह हजार) मानदेय पर आमंत्रित किये जाने हेतु निम्नानुसार नवीन दिशा-निर्देश जारी करता है।

2/ मेहमान प्रवक्ताओं की व्यवस्था औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण अधिकारियों के रिक्त पदों के विरूद्ध निम्न शर्तों के अधीन की जायेगी:-

2.1 मेहमान प्रवक्ताओं की व्यवस्था वास्तविक प्रशिक्षण की आवश्यकता एवं अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों की संख्या के आधार पर डीजीटी के मापदंड के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

2.2 मेहमान प्रवक्ताओं के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता प्रचलित विभागीय भर्ती नियम के अनुरूप रहेगी।

2.3 मेहमान प्रवक्ता किसी भी स्थिति में नियमित आईटीआई स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे और वे लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत 'लोक सेवक' नहीं माने जायेंगे।

2.4 मेहमान प्रवक्ताओं को आईटीआई में प्रति कार्य दिवस उपस्थित रहना अनिवार्य होगा, मेहमान प्रवक्ताओं द्वारा प्रति दिवस अधिकतम 5 घंटे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण प्रदाय किया जाना अनिवार्य होगा।

3/ **मेहमान प्रवक्ता के आमंत्रण की प्रक्रिया:-**

3.1 मेहमान प्रवक्ताओं का आमंत्रण पत्र शैक्षणिक सत्र के अधिकतम 11 माह के लिए संयुक्त संचालक/प्राचार्य द्वारा जारी किया जायेगा।

3.2 मेहमान प्रवक्ता एक साथ दो संस्थाओं में कार्य नहीं करेगा। इस आशय का शपथ-पत्र कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व आईटीआई में प्रस्तुत करना होगा।

3.3 आमंत्रित आवेदक को आईटीआई में निर्धारित अवधि में अपनी उपस्थिति देकर कार्यभार ग्रहण करना होगा। मेहमान प्रवक्ता द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्राचार्य द्वारा समस्त अभिलेखों का मूल दस्तावेजों से परीक्षण एवं संतुष्टि उपरांत ही कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जावेगी।

3.4 मेहमान प्रवक्ता के आमंत्रण के समय इस बात का भी ध्यान रखा जायेगा कि उनके विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। इसके लिए मेहमान प्रवक्ता को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही इस आशय का भी शपथ पत्र देना होगा कि वह किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है।

3.5 किसी भी स्थिति में स्थानांतरण से नियमित पदस्थापना या नवीन नियुक्ति से पदस्थापना के कारण पद भरे जाने पर उक्त पद के आधार पर आमंत्रित मेहमान प्रवक्ताओं का आमंत्रण समाप्त समझा जायेगा।

3.6 चयनित मेहमान प्रवक्ता का प्रशिक्षण कार्य/आचरण संतोषप्रद न होने पर संस्था प्रमुख द्वारा आईएमसी चेयरमेन/संबंधित संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय का अनुमोदन प्राप्त कर मेहमान प्रवक्ता का आमंत्रण किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

3.7 मेहमान प्रवक्ता को सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा शासन/आईटीआई के प्राचार्य के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

3.8 मेहमान प्रवक्ता द्वारा संपूर्ण सत्र में दिये गये प्रशिक्षण कार्य का मूल्यांकन संबंधित प्रशिक्षणार्थीयों की अंतिम परीक्षा के अर्जित अंकों एवं प्राचार्य के मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।

3.9 प्राचार्य आईटीआई में आमंत्रित मेहमान प्रवक्ता के प्रशिक्षण कार्य संबंधी समस्त रिकार्ड अपने अधीन संधारित रखेंगे ताकि इसके मूल्यांकन का उपयोग आवश्यकतानुसार किया जा सके।

4/ मानदेय का निर्धारण:-

मेहमान प्रवक्ता को आईटीआई में रुपये 125/- प्रति घंटा (अधिकतम 5 घंटे प्रतिदिन) की दर से एक माह में अधिकतम रुपये 14,000/- (रूपये चौदह हजार मात्र) मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

5/ चयन प्रक्रिया:-

5.1 कौशल विकास संचालनालय द्वारा प्रतिवर्ष समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के लिये एकीकृत चयन प्रक्रिया का संचालन पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।

5.2 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ऐसे आवेदक जो शासन के प्रचलित विनियमों के अनुरूप शैक्षणिक अर्हता रखेंगे वे विज्ञापित पद के विरूद्ध आवेदन कर सकेंगे।

5.3 आमंत्रण के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलियर छोडकर), सामान्य निर्धन, महिला एवं दिव्यांग अभ्यार्थियों के आरक्षण का पालन सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा-निर्देशानुसार किया जायेगा।

5.4 मेहमान प्रवक्ताओं के चयन की कार्यवाही हेतु निम्नानुसार अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की जायेगी:-

S No	Component	Description	Weightage
1	शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता	इंजी. डिप्लोमा/डिग्री अथवा आई.टी.आई. के प्रतिशत का पूर्णांक X 0.7	अधिकतम 70 अंक
2	उच्चतर योग्यता	ATI/CTI/ITW से अनुदेशक प्रशिक्षण उत्तीर्ण	03 अंक
		संबंधित ब्रांच में इंजीनियरिंग (पॉलीटेक्निक् डिप्लोमा)	02 अंक
		संबंधित ब्रांच में इंजीनियरिंग स्नातक/स्नातकोत्तर	05 अंक
		स्नातकोत्तर (एमई/एमटेक) हेतु अतिरिक्त अंक प्रदाय नहीं होगें।	
3.	अनुभव	शासकीय आईटीआई या एनसीव्हीटी से मान्यता प्राप्त आईटीआई में प्रशिक्षण कार्य हेतु प्रति वर्ष 4 अंक (छः माह से कम हेतु 0 अंक, छः माह से एक वर्ष तक 4 अंक)	अधिकतम 20 अंक

5.4.1 यदि उच्च अर्हता को विहित अर्हता (Base Qualification) माना गया है तब उस उच्च अर्हता के अतिरिक्त अंक प्रदाय नहीं किये जायेगें।

5.4.2 अलग-अलग अवधियों के प्रशिक्षण अनुभव को जोड़कर कुल दिवसों के आधार पर अनुभव के अंकों की गणना की जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ. एम.आर. धाकड़)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा, कौ. वि. एवं रोजगार विभाग

पृ.क्र. क्रमांक एफ-02-02/2022/42-2,　　　　　　　　　　　　भोपाल, दिनांक 22/04/2022

प्रतिलिपि:-

1 प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल।

2 महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।

3 स्टॉफ आफिसर, म.प्र.शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।

4 निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग।

5 निज सचिव, प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग।

6 संचालक, कौशल विकास सचालनलाय, जबलपुर।

7 संबंधित कोषालय अधिकारी...।

8 स्टॉक पंजी।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

AD (GHA)

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा, कौ. वि. एवं रोजगार विभाग

कौशल विकास संचालनालय मध्य प्रदेश
आवक क्र. 1592
दिनांक 25/04/2022

(27)

मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

मंत्रालय, भोपाल

//आदेश//

/भोपाल, दिनांक 21 /02/2023

522/521/2019/522

क्रमांक-कौविस/विविध/2023/ /विभाग के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत् मेहमान प्रवक्ताओं को माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर की याचिका क्रमांक WP-11063/2019 में पारित आदेश दिनांक 12/05/2022 के आलोक में राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त निर्णय के अध्याधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में कार्यरत् मेहमान प्रवक्ताओं का चयन विभागीय आदेश दिनांक 22/04/2022 के पैरा-5.1 से 5.4 द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया से होने के कारण इन्हें आदेश दिनांक 22/04/2022 में जारी निर्देशों के अनुसार कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

JD (NPS)

700
23/02/2023

(सोमेश मिश्रा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

523/521/2019/522

क्रमांक-कौविस/विविध/2023/ /भोपाल, दिनांक 21 /02/2023

प्रतिलिपिः-

1. महाधिवक्ता कार्यालय, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर।
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
3. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग।
4. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग।
5. संचालक, कौशल विकास संचालनालय मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संबंधित कोषालय अधिकारी...।
7. स्टाक पंजी।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक05/10/2023

क्रमांक एफ-02-02/2022/42-2:: राज्य शासन एतद् द्वारा मंत्रि-परिषद् आदेश आयटम क्रमांक-106 दिनांक 04 अक्टूबर, 2023 के अनुक्रम में शासकीय आईटीआई में विभागीय आदेश क्रमांक एफ-02-02/2022/42-2 भोपाल, दिनांक 22/04/2022 एवं क्रमांक 422/421/2019/42-2 दिनांक 21/02/2023 के अन्तर्गत चयनित मेहमान प्रवक्ताओं के संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिए जाते हैं:-

1. आईटीआई में वर्तमान में कालखण्ड आधार पर कार्यरत मेहमान प्रवक्ताओं का मानदेय शैक्षणिक सत्र के लिए रूपये 20,000 प्रतिमाह किया जाता है।
2. मेहमान प्रवक्ता को एक शैक्षणिक सत्र के अनुबंध पर रखे जाने की स्थिति में 13 दिन का आकस्मिक अवकाश एवं तीन दिन का ऐच्छिक अवकाश प्रदान किया जायेगा।
3. मेहमान प्रवक्ताओं को अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्यों का सम्पादन करना अनिवार्य होगा। अनुबंध की शर्तें विभाग द्वारा पृथक से जारी की जायेंगी।
4. मेहमान प्रवक्ता बगैर सूचना दिये एक सप्ताह से अधिक अनुपस्थित नहीं होगा। प्रसूति अवधि में तीन माह की अनुपस्थिति मान्य होगी। मेहमान प्रवक्ता की अनुपस्थिति की स्थिति में आनुपातिक रूप से मानदेय की कटौती की जायेगी।
5. एक माह से अधिक अनाधिकृत अनुपस्थित होने पर मेहमान प्रवक्ता का आमंत्रण समाप्त किया जा सकेगा।
6. शैक्षणिक या प्रशिक्षण कार्य अथवा आचरण संतोषप्रद न होने पर भी संस्था प्रमुख द्वारा संबंधित क्षेत्रीय संयुक्त संचालक का अनुमोदन प्राप्त कर मेहमान प्रवक्ता का आमंत्रण समाप्त किया जाएगा। ऐसे मेहमान प्रवक्ता की भविष्य में नियुक्ति की पात्रता के लिए संचालनालय कौशल विकास अधिकृत होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ. एम.आर. धाकड़)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार विभाग

पृ.क्र. क्रमांक एफ-02-02/2022/42-2, भोपाल, दिनांक 5/10/2023

प्रतिलिपि :-

1 प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल।

2 निज सहायक, माननीय मंत्री जी, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग।

3 निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग।

4 सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग।

5 महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।

6 स्टॉफ आफिसर, म.प्र.शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।

7 संचालक, कौशल विकास संचालनालय।

8 आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल।

9 संबंधित कोषालय अधिकारी...।

10 स्टॉक पंजी।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार विभाग

मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/एफ-02-02/2022/42-2 भोपाल, दिनांक 10 /11/2023

प्रति,

संचालक,

संचालनालय कौशल विकास,

जबलपुर।

विषय- शासकीय आईटीआई के मेहमान प्रवक्ताओं के संबंध में अनुबंध की शर्तें।

***

मंत्रि-परिषद् के निर्णय दिनांक 04 अक्टूबर 2023 के अनुक्रम में विभागीय आदेश क्रमांक एफ-02-02/2022/42-2, दिनांक 05 अक्टूबर 2023 द्वारा प्रदेश के शासकीय आईटीआई के मेहमान प्रवक्ताओं के मानदेय में वृद्धि करते हुए निर्देश जारी किये गये हैं। रिक्त पदों के विरूद्ध मेहमान प्रवक्ताओं के संबंध में अनुबंध की शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. यह व्यवस्था मात्र उन्ही मेहमान प्रवक्ताओं पर लागू होगी जो विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 22.04.2022 के अनुसार कार्यरत हैं।
2. मेहमान प्रवक्ता को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में 01 वर्ष में 13 आकस्मिक एवं 03 ऐच्छिक अवकाश प्रदान किये जायेंगे।
3. मेहमान प्रवक्ता को अधिकतम रूपये 20000/- का भुगतान किया जायेगा। सम्पूर्ण कार्यदिवस मे उपस्थित नहीं होने पर मानदेय की गणना निम्नानुसार की जायेगी:-

$$\text{मानदेय} = \frac{\text{उपस्थित दिवसों की संख्या}}{\text{माह में कुल कार्य दिवसों की संख्या}} \times 20000 \text{ (रूपये)}$$

4. मानदेय निर्धारण के लिए उपस्थित कार्य दिवसों में आकस्मिक एवं ऐच्छिक अवकाश को मान्य किया जायेगा।
5. शासन द्वारा स्थानांतरण/नियमित नियुक्ति उपरांत संस्था में प्रशिक्षण अधिकारी की पदस्थापना होने पर संस्था के उस संकाय के कनिष्ठतम मेहमान प्रवक्ता का आमंत्रण समाप्त किया जायेगा।
6. मेहमान प्रवक्ता के रूप में कार्य करने हेतु आयु सीमा अधिकतम 62 वर्ष रहेगी।
7. मेहमान प्रवक्ताओं के अभ्यावेदनों एवं न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के प्रकाश में संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा क्षेत्रीय संयुक्त संचालक के अनुमोदन उपरांत किया जायेगा।

8. मेहमान प्रवक्ताओं को शासकीय अवकाश को छोड़कर समस्त दिवसों में संस्था में उपस्थित रहकर सौंपे गये समस्त कार्य संपादित करने होंगे।

9. मेहमान प्रवक्ताओं को कार्यालयीन समय में संस्था में पूर्ण समय उपस्थित रहकर प्रत्यक्ष प्रशिक्षण कार्य किया जाना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, ट्यूटोरियल, अतिरिक्त कक्षायें, प्रयोगिक कार्य, प्रवेश कार्य, योजनाओं का संचालन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा गतिविधियाँ, युवा उत्सव, आदि का कार्य भी संपादित करना होगा। शासन/संस्था की आवश्यतानुसार प्राचार्य के निर्देश पर अतिरिक्त कार्य भी संपादित करवाया जा सकेगा।

10. मेहमान प्रवक्ता को अमंत्रण पत्र संस्था प्राचार्य द्वारा शैक्षणिक सत्र के लिए जारी किया जायेगा। प्रत्येक नवीन शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने पर प्राचार्य द्वारा नवीन आमंत्रण पत्र जारी किया जायेगा, जो कि अधिकतम 11 माह के लिये ही सीमित होगा।

11. मेहमान प्रवक्ता को संस्था में निर्धारित अवधि में अपनी उपस्थिति देकर कार्यभार ग्रहण करना होगा। प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व समस्त अभिलेखों का मूल दस्तावेजों से परीक्षण एवं संतुष्टि उपरांत ही कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जावेगी। यदि कोई व्यक्ति पद की न्यूनतम अर्हता पूरी नहीं करता, तब आमंत्रण समाप्त किया जाएगा।

12. मेहमान प्रवक्ता द्वारा प्रस्तुत जानकारी, जिसके आधार पर आमंत्रण पत्र जारी किया गया है, में किसी भी प्रकार की विसंगति अथवा असत्य पाये जाने पर आमंत्रण स्वत: समाप्त समझा जायेगा।

13. मेहमान प्रवक्ता के विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, इस आशय की लिखित उदघोषणा प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही, इस आशय की लिखिंत उद्घोषणा भी देना होगी कि वह किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है।

14. मेहमान प्रवक्ता को सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा शासन/संचालनालय/संस्था के प्राचार्य के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

15. मेहमान प्रवक्ता का संपूर्ण सत्र में किए गए पठन-पाठन कार्य का मूल्यांकन संबंधित प्रशिक्षणार्थियों के परीक्षा के अर्जित अंकों एवं अन्य सौंपे गए कार्यों में मूल्यांकन के आधार पर प्राचार्य द्वारा किया जाएगा।

16. मेहमान प्रवक्ता बगैर सूचना दिये एक सप्ताह से अधिक अनुपस्थित नहीं होगा। एक माह से अधिक अनाधिकृत अनुपस्थित होने पर मेहमान प्रवक्ता का आमंत्रण प्राचार्य द्वारा समाप्त किया जा सकेगा। शैक्षणिक या प्रशासनिक कार्य में लापरवाही/एक सप्ताह से अधिक अनाधिकृत अनुपस्थित/आचरण संतोषप्रद न होने पर संस्था प्रमुख द्वारा क्षेत्रीय संयुक्त संचालक का अनुमोदन प्राप्त कर मेहमान प्रवक्ता का आमंत्रण समाप्त किया जा सकेगा। ऐसे मेहमान प्रवक्ता की भविष्य में नियुक्ति की पात्रता के लिए संचालक, संचालनालय कौशल विकास अधिकृत होंगे।

17. महिला मेहमान प्रवक्ता को प्रसूति अवधि में तीन माह की अनुपस्थिति मान्य होगी। मेहमान प्रवक्ता की अनुपस्थिति की स्थिति में नियमानुसार मानदेय की कटौती की जायेगी। अवैतनिक प्रसूति अवकाश का लाभ लेने के उपरांत महिला मेहमान प्रवक्ता को आमंत्रण की शेष अवधि में अपना प्रशिक्षण कार्य पूर्ण करना होगा।
18. मेहमान प्रवक्ताओं का आमंत्रण पूर्णतः अस्थाई है। मेहमान प्रवक्ता किसी भी स्थिति में नियमित संस्था स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे और न ही लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत *"लोक सेवक"* माने जायेंगे।
19. मेहमान प्रवक्ताओं के संबंध में विभागीय आदेश दिनांक 05 अक्टूबर 2023 उसके जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा।

उपरोक्तानुसार अनुबंध की शर्तों में उल्लेखित प्रावधान के अधीन आमंत्रण पत्र जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(डॉ. एम.आर. धाकड़)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास
एवं रोजगार विभाग

पृ. क्रमांक/एफ-02-02/2022/42-2 भोपाल, दिनांक 10/11/2023

प्रतिलिपिः-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. संचालक, कौशल विकास संचालनालय।
3. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल।
4. संबंधित कोषालय अधिकारी..।
5. स्टॉक पंजी।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास
एवं रोजगार विभाग